न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 248/2021 **निर्णय दिनांक :– 10.01.2022**

शिक्षा प्रसार समिति जरिये सचिव मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दुर्गालाल शर्मा निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थी–

–बनाम–

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राज0।

–अप्रार्थीगण–

–उपस्थिति –

श्री प्रकाश चंद जैन **पेराकार सरकार**

अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1129 रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। आराजी भूमि खसरा नंबर 1124 रकबा 0.91 है0 राजस्व रिकार्ड में चरागाह भूमि तथा खसरा नंबर 1141 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन सडक दर्ज है। प्रार्थी कई वर्षो से अपनी उक्त आराजीयात पर आम सडक खसरा नंबर 1141 से चरागाह भूमि खसरा नंबर 1124 मे से होकर आता जाता रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी भूमि में आने जाने का इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थी अपनी सुविधा के लिये रास्ता नहीं मांग रही है। राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपने खेत पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने लें जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु आम सडक ख0नं0 1141 से चरागाह भूमि ख0नं0 1124 मे से होकर 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि पर जाकर कांश्त कर सके। प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार है। तहसीलदार

देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। ख0नं0 1124 वर्तमान में चरागाह भूमि दर्ज होने के कारण उक्त भूमि से संबंधित राज्य सरकार से अनुमति आवश्यक है इसलिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 1129 रकबा 1.03 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली पर आने जाने के लिये आम सडक ख0नं0 1141 से चरागाह भूमि ख0नं0 1124 मे, से होकर 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थीगगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब व मौका रिपोर्ट पेश की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रारास्ता उपलब्ध नहीं है। शिक्षा प्रसार समिति को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रांस्ते की लम्बाई, चौड़ाई 30X4=120 वर्ग होगी। चाहे जाने वाले रास्ते की डी.एल.सी दर 487404 रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसकी एक गुना राशि 5849/– रूपये व दुगनी प्रतिकर राशि 11698/– रूपये है। आवेदक की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। आवेदक चारागाह में से 120 वर्ग मी. रास्ता लेना चाहता है व स्वयं की खातेदारी में से 120 वर्ग मी. चारागाह के समीप चारागाह में क्षतिपूर्ति हेतु देना चाहता है जिसको नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते को व चारागाह भूमि को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से प्रस्तावित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड–पौधे नही है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि धारक (राजस्थान सरकार) है। प्रस्तावित रास्ते पर नासिरदा तालाब की चादर का पानी निकलता है। आवेदक पुलिया बनाकार आवागमन कर सकता है। अतः मय राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस की 2 प्रति और डी. एल.सी दर की छाया प्रति संलग्न है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को अपनी आराजी भूमि में आने जाने में परेशानी आती है, आये दिन चारागाह के अतिकमियो से लड़ाई झगड़ा होता रहता है। रिपोर्ट अनुसार चारागाह की क्षतिपूर्ति के लिए प्रार्थी अपनी भूमि चारागाह में से देने के तैयार है। अतः उक्त चारागाह भूमि में से रास्ता दिये

जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि से 251 क के प्रावधानो के अनुसार रास्ता दिये जाने पर आये दिन का लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इसके लिए प्रार्थीगण वर्तमान डी. एल.सी दर की दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब व रिपोर्ट के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि चारागाह भूमि एक प्रतिबंधित श्रेणी है जिसमें से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता प्रार्थी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी में पहुंचने के लिए ख. नं. 1124 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है। चारागाह एक प्रतिबन्धित श्रेणी है जिसमें किसी भी प्रकार से न्यायालय स्तर पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। चारागाह भूमि से निकलने के लिए कोई बंदिश नहीं है। प्रार्थी आसानी से चारगाह भूमि से होकर अपनी खातेदारी की आराजी में आ जा सकता है। अतः प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली